

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S
उनवान

1. श्री करणसिंह पिता पर्वतसिंह राजपूत निवासी उदयपुर।
2. श्री गोपालसिंह पिता जगन्नाथसिंह राजपूत निवासी उदयपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 44 / 24 (वाद) GCMS No. – 2024 / 86

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की नकल जमाबन्दी सम्बत् 2077-80 की खाता संख्या 155 पर दर्ज आराजी नम्बर 1030, 1031 भूमि में वादीगण का नाम करणसिंह पिता पर्वतसिंह के बजाय भंवरसिंह उर्फ करणसिंह पिता पर्वतसिंह एवं नाबालिग सुरेन्द्रसिंह पिता जगन्नाथसिंह के बजाय गोपालसिंह उर्फ सुरेन्द्रसिंह पिता जगन्नाथसिंह संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 22.04.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

